

कोडिक्का उपस्थित नहीं है। इसी में कोई भी पेडा कोपील की कोडिक्का का प्रति पेडा नहीं की गई। पत्रावली आम्दा वास्त कोडिक्का की प्रति पेडा करने हेतु दिनांक 3.5.17 को पेडा हों।

सक्षम प्राधिकारी  
(उपखण्ड अधिकारी)  
पिण्डवाडा

3-5-17 पत्रावली पेडा हुई। कोपील यात्री उपस्थित कोडिक्का को सादर आम्र कार्य में लास्ट होने से पत्रावली आम्दा वास्त के गत कोडिक्का की पालना हेतु दिनांक 5.7.17 को पेडा हों।

5-7-17 पत्रावली पेडा हुई। मानवीय न्यायालय जिला कलेक्टर (कोरबीस्ट) सिरौही के निर्णय दिनांक 1.4.2015 के विरुद्ध आ.ग.रा.पा. द्वारा मानवीय जिला न्यायाधीश सिरौही के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गई है। अतः इस प्रकार में आगामी कार्यवाही स्थिति की जाती है। न्यायालय के निर्णय के पश्चात् विधिानुसार आगामी कार्यवाही की जाए। पत्रावली फिलहाल गुप्त होकर नम्बर से कभ हों।

सक्षम प्राधिकारी  
(उपखण्ड अधिकारी)  
पिण्डवाडा